वाराणसी नगर निगम

वाराणसी नगर निगम (घाट पर अतिक्रमण, विनियमन, नियंत्रण एवं घाट शुल्क वसूली) उपविधि, 2023

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1– (1) यह उपविधि वाराणसी नगर निगम (घाट पर अतिक्रमण, विनियमन और घाट पर नियंत्रण एवं घाट शुल्क वसूली) उपविधि, 2023 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम वाराणसी के सम्पूर्ण घाट क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें 2– (1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(एक) **''अधिनियम''** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है:

(दो) **''घाट'' का तात्पर्य** समस्त स्थिर और प्रवाहमान जल के किनारे स्थित समस्त भूमि जहाँ कहीं स्थित हो, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में न हो, और जहाँ तक किन्हीं व्यक्तियों के किन्ही अधिकारो को उनके अन्तर्गत या उन पर स्थापित किये जाने का संबंध हो, उसके सिवाय और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में यथाशक्य उपबन्ध किये जाने के सिवाय, एतद्द्वारा उनमें या उन पर या उनसे सम्बन्धित समस्त अधिकारों सहित राज्य सरकार की सम्पत्ति होगी जिसका प्रबन्धन नगर निगम द्वारा किया जायेगा। समस्त स्थिर और प्रवाहमान जल के किनारे स्थित समस्त भूमि पर वृक्षों, झाड़, जंगल, या अन्य प्राकृतिक उत्पाद, जहाँ कहीं उगे हों या रोपित हों, को राज्य सरकार की सम्पत्ति समझा जाएगा एवं इनका स्वामित्व नगर निगम का रहेगा।

(तीन) **''अतिक्रमणकर्ता''** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो बिना अनुमति के घाट पर किसी भी प्रकार से निर्माण व मरम्मत सम्बिन्धित कार्य, घाटों पर आरती, घाटो पर शवदाह, अनाधिकृत होर्डिग, बैनर, पोस्टर, विज्ञापन चिपकाना या अन्य किसी माध्यम से बिना अनुमति के प्रचार करना, नदी एवं घाट पर अवैध रूप से बिना अनुमति के हाट, बाजार, मेला तथा घाट पर व्यावसायिक मंशा से किया जा रहा कोई कार्य, निर्धारित वेण्डिंग जोन के बाहर दुकान, ठेला लगा कर अनिधिकृत रूप से व्यापार करना, बिना लांइसेन्स के नावो का संचालन, घाट के किनारे पशुपालन, बिना अनुमति मछली पालन, घाट पर स्थित भवनों से घाट अथवा नदी में जल निकासी हेतु निर्माण, घाट पर नाव की मरम्मत व घाट से लगायत मार्ग पर किसी भी प्रकार का अवैध वाहन स्टैण्ड या ऐसे कार्य करना जिससे यातायात प्रभावित हो शामिल है तथा इस उपविधि के अधीन घाट पर परिनिर्मित करने प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने के लिए लिखित अनुमति प्रदान न की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(चार) **''विज्ञापन प्रतीक''** का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्सम्बन्ध मे सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या सरंचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से सम्प्रदर्शित हो, और उक्त सतह या सरंचना या

किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

''आकाश. चिन्ह''से तात्पर्य है कोई शब्द, वर्ण, नमूना चिन्हयुक्त या अन्य प्रतिरूप, जो विज्ञापन, घोषणा या निर्देश के रूप में हो और जो किसी भवन या ढांचे पर उसके पूर्णतः या अंशतः किसी खम्भे, बल्ली, ध्वजदंड चौखट या अन्य किसी अवलम्ब के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल से पूर्णतः या अंशतः आकाश पर दिखायी देता हो।

(पॉच) **''अतिक्रमण''** का तात्पर्य बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का घाटों पर कराये जा रहे कार्य है जिसकी किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान ना की गयी हो जैसे– निर्माण, व्यवसायिक कार्य आदि जिससे घाट की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उपविधि में नियम 2(3) में परिभाषित अतिक्रमणकर्ता द्वारा कराये जाने वाले समस्त कार्य अतिक्रमण की श्रेणी में आयेंगे।

(छः) **''गुब्बारा''** का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दू से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो;

(सात) **''बैनर''** का तात्पर्य ऐसी किसी नग्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते है; जो पूर्णतयः प्रतिबन्धित है।

(आठ) **''पताका''** का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप मे किसी बैनर का प्रयोग कर रहा है;

(नौ) **''समिति''** का तात्पर्य नियम–3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है;

(दस) **''निगम''** का तात्पर्य वाराणसी नगर निगम से है;

(ग्यारह) **''विद्युतीय प्रतीक''** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं;

(बारह) **''गैन्ट्री विज्ञापन''** का तात्पर्य घाट अथवा लगायत मार्ग/सड़क के दोनो ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है;

(तेरह) **''भू–विज्ञापन''** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी घाट पर स्थित भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृष्य हो;

(चौदह) **''प्रदीप्त प्रतीक''** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो;

(पन्द्रह) **''शामियाना''** का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो;

(सोलह) **''प्रक्षेपित प्रतीक''** का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो;

(सत्रह) **''मार्ग अधिकार''** का तत्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित घाटों व उनसे लगायत मार्ग की चौड़ाई से है;

(अट्ठारह) **''छत विज्ञापन''** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी घाटों पर निर्मित भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है;

(उन्नीस) **''अनुसूची''** का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है;

(बीस) **''जनसुविधा स्थान पर अतिक्रमण''** का तात्पर्य ऐसे अतिक्रमण से है जो किसी घाट पर जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी अनुमति रहित रीति से व बिना अनुमति के लगाये गये व्यावासायिक दुकानों व विज्ञापन से है;

(इक्किस) **''जल पुलिस बूथ/एन0डी0आर0एफ0 बूथ पर विज्ञापन''** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी जल पुलिस बूथ अथवा एन0डी0आर0एफ0 बूथ के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए;

(बाईस) **''प्रतीक संरचना''** का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो;

(तेईस) **''अनुज्ञा शुल्क''** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 452के अधीन विज्ञापन शुल्क से है;

(चौबीस) **''अस्थायी अतिक्रमण'** का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवास, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन तथा घाट पर लगायत मार्ग पर व्यावसाय के दृष्टि से ठेला, खोमचा, गुमटी, रेहड़ीयुक्त अस्थायी संरचना के युक्ति से है;

(पच्चीस) **''ट्री गार्ड विज्ञापन''** का तात्पर्य अनुमन्य घाटों पर अथवा लगायात मार्ग व सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है;

(छब्बीस) **''बरांडा प्रतीक''** का तात्पर्य किसी भी घाट पर व लगायत मार्ग के भवन बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है;

(सत्ताइस) **''दीवार प्रतीक''** का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उसे पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो;

(अठ्ठाईस) **''शवदाह घाट''** का तात्पर्य ऐसे घाट से है, जो शासन/प्रशासन, नगर निगम सदन द्वारा शवदाह हेतु चिन्हित किया जाय।

(2) इस उपविधि मे प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम मे पारिभाषित शब्दो और पदो के वही अर्थ होगे जो अधिनियम मे उनके लिए समनुदेशित है;

घाटो व लगायत मार्ग का संरक्षण एवं सुगम संचालन हेतु प्रतिबंन्धित/ निषेध कार्यः– 3– (1) किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य एवं मांसाहार बेचना एवं सेवन।

(2) थूकना एवं मलमूत्र विसर्जन एवं किसी प्रकार की गंदगी फैलाना।

(3) वेडिंग जोन के बाहर दुकान लगाना, ठेला लगाकर या अन्य किसी प्रकार से अनिधिकृत व्यापार करना।

(4) बिना अनुमति किसी भी प्रकार का पशुपालन/मछली पालन या मछली पकड़ना सम्बन्धित कार्य।

(5) प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग तथा प्रतिबन्धित मंझा बेचना एवं प्रयोग ।

(6) होटल/गेस्ट हाउस/रेस्टोरेन्ट इत्यादि द्वारा नाली व सीवेज का प्रवाह घाटों या नदी में करना।

(7) मूर्ति विसर्जन एवं गंगा में अन्य किसी प्रकार के अपशिष्ट को प्रवाहित करना।

(8) भिक्षाटन।

(9) बिना लाईसेन्स के नावों का संचालन।

(10) बिना अनुमति घाट पर किसी भी प्रकार के नाव के मरम्मत, कार्यशाला(वर्कशाप) इत्यादि संबंधित कार्य।

(11) बिना सुरक्षा उपकरण के नाव का संचालन व अनुमन्य सीमा से ज्यादा व्यक्ति नाव में बैठाया जाना।

(12) शवदाह हेतु चिन्हित घाट (शवदाह घाट) के अतिरिक्त अन्य घाट पर बिना निगम की अनुमति के शवदाह हेतु लकड़ी रखना या शवदाह करना।

(13) घाट पर साबुन शैम्पू इत्यादि का प्रयोग एवं कपड़े धुलना।

घाटो के संरक्षण एवं सुगम संचालन हेतु अन्य कार्य

4– (1) नगर विकास द्वारा जारी शासनादेशों एवं उत्त प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन प्रत्येक भूमि स्थानीय निकाय के निमित्त और उसके अधीन समझी गयी समस्त भूमि और अन्य चीजों, जिनपर स्थानीय निकाय को किसी विधि के अधीन कब्जा करने का हक हो के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य प्रभारित किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हों।

(3) नगर निगम के द्वारा आश्रययुक्त वेन्डिग जोन का निर्माण किया जायेगा और उसे किराये पर आवंटित किया जायेगा, यह आवंटन गैर हस्तांतरणीय होगा। वेन्डिग जोन का निर्माण ऐसे स्थल पर किया जायेगा। जिससे ना तो जनमानस का आवागमन बाधित होगा और ना ही किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हो।

(4) घाटो पर चेजिंग रूम की व्यवस्था एवं संचालन नगर निगम द्वारा अपने देख–रेख में किया जायेगा।

(5) राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किए जाने वाले अनुवर्ती आदेश द्वारा, किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है। स्थानीय स्तर पर इस प्रकार का आदेश स्थानीय निकाय द्वारा किया जा सकता है।

(6) नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की घाटों व लगायत मार्ग पर किसी भवन, फुटपाथ, वाहन स्टैण्ड, उपरिगामी, सेतु या उससे संलग्न लगायात मार्ग भूमि या ट्री गार्ड, घाटों पर निर्मित भवन के प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, घाट द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन व व्यवसाय या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन व व्यवसाय होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा न लटकायेगा या ना किसी प्रकार का बिना अनुमति के अस्थाई रूप से व्यवसाय नही करेगा। जिससे जनमानस को किसी भी प्रकार की क्षति पहुचे।

(7) निगम के घाटों के किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अपर नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई व्यवसायिक मंशा से किया जा रहा कार्य जैसे– फिल्म की शूटिंग, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन द्वारा फोटो शूट, वाहन स्टैण्ड का संचालन, घाटों पर विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, सम्प्रदर्शित, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने देगा, यदि ऐसा किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से हो।

(8) व्यवसायिक मंशा से घाटो पर कोई ऐसा कार्य नही किया जायेगा जिससे यातायात के संचालन मे व्यवधान हो।

(9) कोई भी व्यवसायिक कार्य जैसे– ठेला, खोमचा, रेहड़ी व गुमटी इत्यादि इस नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा।

(10) घाटों पर एकरूपता के दृष्टिगत यदि निजी सम्पत्ति स्वामी यथा भवन, होटल आदि द्वारा कोई कार्य जैसे पेंटिंग इत्यादि किया जाता है तो, इसकी पूर्व में निगम को सूचना देनी होगी एवं नगर निगम द्वारा उक्त परिक्षेत्र में सौन्दर्यीकरण संबंधी दिशा निर्देश यदि कोई हो, का अनुपालन करना होगा।

(11) बैनर, वाल पेन्टिंग, पोस्टर के माध्यम से (किसी भी रीति से) विज्ञापन बिना अनुमति के करना पूर्णतयः प्रतिबन्धित है।

(12) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत घाटो उनसे लगायत मार्ग में विभिन्न राजनैतिक/गैर राजनैतिक दलों/संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार से विज्ञापन/प्रचार/बधाई सन्देश आदि प्रदर्शित किये जाने के पूर्व नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(13) शासन/प्रशासन/नगर निगम सदन द्वारा शवदाह हेतु घाट चिन्हित किया जाएगा। वतर्तमान में मणिकर्णिका घाट एवं हरिश्चन्द्र घाट ही शवदाह हेतु अतिकृत होंगे।

घाट की स्वच्छता व अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि 2017 के अन्तर्गत स्वच्छता नियमों का उलंधन करने पर अर्थदण्ड आरोपित होगेः– 5–

(1) घाट पर कूड़ा फेंकना – 200 रू0 जुर्माना

(2) घाट पर थूकनें या पेशाब करना – 200 रू0 जुर्माना

(3) घाट पर कपड़े धोना – 200 रू0 जुर्माना

(4) घाट पर कूडें दान व स्टोरेज कन्टेनर के बाहर कूड़ा फेंकने पर – 200 रू0 जुर्माना

(5) शवदाह हेतु चिन्हित घाट के अतिरिक्त अन्य घाट पर बिना निगम की अनुमति के शवदाह हेतु लकड़ी रखना या शवदाह करना व घाट पर शव का अनियमित निस्तारण – 1000 रू0 जुर्माना।

(6) घाट पर दुकान/फेरी वालों द्वारा कूड़ा कूड़ेदान मे ना रखना – 500 रू0 जुर्माना

(7) घाट पर साबुन/शैम्पू आदि लगाकर नहाना– 200 रू0 जुर्माना

(8) किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य एवं मांसाहार बेचना एवं सेवन – 1000 रू0 जुर्माना

(9) वेडिंग जोन के बाहर दुकान लगाना, ठेला लगाकर या अन्य किसी प्रकार से अनिधिकृत व्यापार करना – 1000 रू0 जुर्माना

(10) बिना अनुमति किसी भी प्रकार का पशुपालन/मछली पालन या मछली पकड़ना सम्बन्धित कार्य – 1000 रू0 जुर्माना

(11) बिना सुरक्षा उपकरण के नाव का संचालन व अनुमन्य सीमा से ज्यादा व्यक्ति नाव में बैठाया जाना –– 1000 रू0 जुर्माना

(12) बिना लाईसेन्स के नावों का संचालन – 1000 रू0 जुर्माना

(13) बिना अनुमति घाट पर किसी भी प्रकार के नाव के मरम्मत संबंधित कार्य – 1000 रू0 जुर्माना

(14) होटल/गेस्ट हाउस/रेस्टोरेन्ट इत्यादि द्वारा नाली व सीवेज का प्रवाह घाटों या नदी में करना – 1000 रू0 जुर्माना

(15) मूर्ति विसर्जन अन्य किसी प्रकार के अपशिष्ट को प्रवाहित करना – 500 रू0 जुर्माना

(16) भिक्षाटन – 200 रू0 जुर्माना

(17) घाट पर दुकान/फेरी वालों द्वारा पॉलीथीन कैरी बैंग, पॉलिस्ट एवं थर्माकोल की वस्तुओं का उपयोग करने पर अर्थदण्ड निम्नवत है :–

1. 100 ग्राम तक – 500 रू0 जुर्माना
2. 100 ग्राम से 500 ग्राम तक – 1000 रू0 जुर्माना
3. 500 ग्राम से अधिक – 2000 रू0 जुर्माना

उपरोक्त के अनुपालन में घाटों पर डस्टबिन का प्रयोग करना अनिवार्य है। प्रतिबधित पॉलिथिन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है, अतः प्रतिबंधित पॉलिथिन का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

नोट– उपरोक्त के उल्लंघन की पुनरावृत्ति की दशा में पॉच गुना अर्थदण्ड/जुर्माना अध्यारोपित किया जायेगा।

घाटों पर अधिकृत आरती का संचालनः–

6– (1) घाटों पर आरती हेतु केवल पारंपरिक रूप से वर्ष 2012 से पूर्व से संचालित हो रही संस्थाए ही अधिकृत होगीं एवं संचालन सम्बन्धित सूचना जिला प्रशासन व नगर निगम में लिखित रूप में देनी होगी। आरती संचालन हेतु संस्था को उक्त विधि के लागू होने के तीन माह के अन्दर नगर निगम में आवेदन कर अनुमति लेनी होगी। शासन/प्रशासन के निर्देश के क्रम में संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा अनुमति दी जा सकेगी।

(2) आरती संचालन संस्था को समय–समय पर जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा निर्गत निर्देश का अनुपालन करना होगा।

(3) घाटों पर पारंपरिक रूप से कार्य करने वाले पंडा/घाट पुजारी को उपविधि लागू होने के तीन माह के अन्दर नगर निगम में आवेदन कर अनुमति लेनी होगी।

(4) इस उपबन्ध के नियम–6 के उपनियम (1),(3) की अनुमति वार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण निगम द्वारा किया जायेगा।

(5) गंगा आरती वाले घाटों पर कन्टेनर रखे जायेगें। जिसमें आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं द्वारा उपयोग किये गये फूल एवं पूजन सामग्री डाली जा सकती है। जिसका निस्तारण नगर निगम द्वारा प्रतिदिन किया जायेगा।

(6) आरती एवं अन्य कार्यों की अनुमति जोनल अधकारी के माध्यम से नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

घाटों व लगायत मार्ग पर निगम की सम्पत्ति की क्षति, दुरूपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्तिः–

7– (1) जहां किसी स्थानीय निकाय के अधीन सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी हुई कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरूपयोग होता है, या जहां कोई स्थानीय निकाय इस संहिता के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि/सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने के लिये हकदार हो और ऐसी भूमि/सम्पत्ति उक्त उपबंधों के सिवाय अन्यथा रूप से अधिभोग में हो वहां सम्बन्धित जोनल अधिकारी विहित रीति से कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उससे क्षति, दुरूपयोग या गलत अधिभोग के लिये प्रतिकर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, की वसूली की जाय और क्यों न उसे ऐसी भूमि/सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जाय।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है तो जोनल अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि/सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिये जैसा आवश्यक हो निदेश दे सकता है। यथा सम्पत्ति की क्षति या उसके दुरूपयोग के लिये या गलत अधिभोग के लिये जोनल अधिकारी को जुर्माना लगाने की शक्ति होगी जिसके अन्तर्गत जोनल अधिकारी अपने आदेश में जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। प्रतिकर की धनराशि जमा न करने की दशा में इसकी वसूली ऐसे व्यक्ति से भू–राजस्व बकाये के भाँति की जा सकेगी।

(3) यदि जोनल अधिकारी की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुरूपयोग या गलत अधिभोग करने का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को खारिज कर देगा।

(4) नोटिस में जोनल अधिकारी के अन्तिम निर्णय के उपरान्त यदि प्रभावित पक्ष चाहे तों वह नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त के समक्ष सात कार्यदिवसों के भीतर अपील कर सकेगा। नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

(5) नियम–5 में उल्लिखित अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु जोनल अधिकारी अधिकृत होंगे। प्रभावित पक्ष चाहे तों वह नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त के समक्ष सात कार्यदिवसों के भीतर अपील कर सकेगा। नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) उक्त नियमावली व धारा के अधीन की गयी किसी कार्यवाही में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसी विहित की जाय।

***

प्रस्तुतकर्ता

नगर आयुक्त
नगर निगम,वाराणसी

मुख्य विकास अधिकारी **वाराणसी**	**नगर आयुक्त** **नगर निगम, वाराणसी**	**जिलाधिकारी** **वाराणसी**